UPBG010019082026

Criminal Revision/107/2026
न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।
उपस्थितः मनोज कुमार–III, एच.जे.एस.
जे०ओ०कोड–यू०पी० 1909

1. श्रीमती निकिता पुत्र स्व० सुधीर, निवासी ग्राम सिलाना, थाना छपरौली, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश।

.....प्रार्थी/निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, बागपत।
2. सुमित राणा पुत्र कृष्णपाल, निवासी ग्राम दाहा, थाना दोघट, जनपद बागपत।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा प्रार्थना–पत्र संख्या 31/2026 अन्तर्गत धारा 450 बी.एन.एस.एस., थाना छपरौली, श्रीमती निकिता बनाम सुमित राणा आदि में पारित आदेश दिनांकित 24.03.2026, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी का स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 450 बी.एन.एस. एस. निरस्त किया गया है, से क्षुब्ध होकर योजित की गई है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में हैं कि निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी श्रीमती निकिता मलिक ने धारा 450 बी.एन.एस.एस. के तहत एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसको परिवाद 47/2024, अन्तर्गत धारा 12, 18, 19, 20 घरेलू हिंसा अधिनियम, थाना छपरौली, जनपद बागपत दायर किये हुए करीब दो वर्ष हो चुके हैं। उसके एक अन्य वाद परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, बागपत के यहॉ 51/2022 सुमित राणा बनाम श्रीमती निकिता मलिक अन्तर्गत धारा 13क–(1) हिन्दु विवाह अधिनियम तथा वाद संख्या 154/2024 श्रीमती निकिता बनाम सुमित राणा अन्तर्गत धारा 144(3) बी. एन. एस. एस. थाना छपरौली, जनपद बागपत में विचाराधीन हें तथा एक मुददमा, मु.अ.सं. 51/2024 सिविल जज, जू.डि./एफ.टी.सी. बागपत सरकार बनाम सुमित राणा आदि, धारा 498ए, 323, 504, 506 भा.द.सं., थाना महिला थाना बागपत विचाराधीन हैं। वह दोनों जगह पैरवी करने में असमर्थ है, क्योंकि विपक्षी बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति है। प्रार्थिनी को ग्रामीण न्यायालय, बडौत, जनपद बागपत में मुकदमें की पैरवी करने पर अपनी जान माल की सुरक्षा का खतरा है, क्योंकि वह विपक्षी का स्थानीय क्षेत्र है, जो विपक्षी वहॉ पर प्रार्थिनी पर मौका पाकर हमला कर देता है। दिनांक 29.08.2025 को न्यायालय ग्रामीण बडौत, जनपद बागपत में मुकदमें में पैरवी हेतु गयी थी, तो वहॉ पर विपक्षी ने उस पर जान से मारने की नीयत से

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.04 10:09:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हमला बोल दिया, जिसकी शिकायत कई जगह, थाने आदि में भी की गयी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 10.09.2025 को न्यायालय में विपक्षी व उसके भाई के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र धारा 173(4) बी. एन. एस. एस. के तहत थाना बडौत में मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु प्रार्थना–पत्र दायर कर रखा है। अतः प्रार्थिनी के परिवाद संख्या 47/2024, अन्तर्गत धारा 12, 18, 19, 20 घरेलू हिंसा अधिनियम, थाना छपरौली, जनपद बागपत को न्यायालय ग्रामीण न्यायालय बडौत से जनपद बागपत के किसी भी न्याालय में स्थानान्तरित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध विपक्षी की ओर से विचारण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना–पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थिनी को ग्रामीण न्यायालय बडौत में जान माल का कोई खतरा नहीं है, जहॉ तक विपक्षी का स्थानीय क्षेत्र कस्बा बडौत होने की बात है, विपक्षी का ग्राम सिलाना दोनों तहसील बडौत के अन्तर्गत आते हें और दोनों ही तहसील बडौत की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत निवास करते हैं, ऐसी अवस्था में बडौत में हमला करने का कथन झूॅठा, काल्पनिक एवं निराधार है। दिनांक 29.08.2025 की झूॅठी घटना बनायी गयी है तथा उक्त झूॅठी कहानी के आधार पर जो प्रार्थना–पत्र धारा 173(4) बी. एन. एस. एस. के तहत थाना बडौत में मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु प्रार्थना–पत्र दायर कर रखा था, उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थिनी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थिनी एक अत्यन्त निडर, दबंग महिला है, जो अवैध हथियारों के प्रदर्शन में संलिप्त रहती है, जिसके अवैध हथियारों के साथ फोटो इंस्ट्राग्राम एवं फेस बुक पर सोशल ऐप पर प्रदर्शित हैं, जिस कारण प्रार्थनी को जान माल की सुरक्षा की बात अत्यन्त हास्प्रद है। प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर आलोच्य आदेश दिनांकित 24.03.2026 पारित करते हुए निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया। उक्त आलोच्य आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी द्वारा यह निगरानी योजित की गयी है।

5. निगरानी कागज संख्या 3अ मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए निगरानी में लिए गए आधार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उसका धारा 450 बी. एन. एस. एस. का प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर निरस्त किया गया है। प्रार्थना–पत्र पर आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र के वैधानिक अथवा अवैधानिक होने के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मात्र विधि व्यवस्था नितिश रस्तोगी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. के आलोक में प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया है, परन्तु पत्रावली पर वर्णित तथ्यों की विधिक निमांशा न करते हुए मात्र काल्पनिक आधारों पर प्रार्थना–पत्र निरस्त किया है, जो विधिक रूप से संधार्य नहीं है। अतः याचना की गयी है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 24.03.2026 निरस्त किया जाए।

6. निगरानीकर्ता की ओर से सूची 6ब के माध्यम से कुछ प्रपत्रों की फोटोप्रति निगरानी में उल्लिखित कथनों के समर्थन में दाखिल की गयी हैं।

7. मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

8. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मीमो पर यह पृष्ठांकन किया गया है कि फौजदारी निगरानी पर बल नहीं देना है। इसके विपरीत विपक्षी की ओर से यह पृष्ठांकन किया गया हे कि पुनरीक्षण गलत तथ्यों पर आधारित है। प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है , निरस्त करने की कृपा करें।

9. प्रस्तुत निगरानी, फौजदारी निगरानी है, जिसका गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया जाना विधि अनुसार अनिवार्य है।

10. न्यायालय को प्रथमतः यह देखना है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 24.03.2026 में कोई वैधानिक त्रुटि है, अथवा नहीं।

11. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 450 बी.एन.एस.एस. आलोच्य आदेश दिनांकित 24.03.2026 के द्वारा निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध यह निगरानी योजित की गयी है।

12. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.03.2026 विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है तथा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। अतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाए।

13. उक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश दिनांकित 24.03.2026 में स्पष्ट है कि पत्रावली का सम्यकरूपेण अवलोकन करने के उपरान्त ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में स्पष्ट रूप से वर्णित भी किया गया है। अतः उक्त तर्क बलहीन है।

14. जहाँ तक निगरानीकर्ता का यह तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र के वैधानिक अथवा अवैधानिक होने के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मात्र विधि व्यवस्था नितिश रस्तोगी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. के आलोक में प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया है, परन्तु पत्रावली पर वर्णित तथ्यों की विधिक निमांशा न करते हुए मात्र काल्पनिक आधारों पर प्रार्थना–पत्र निरस्त किया है, जो विधिक रूप से संधार्य नहीं है। पत्रावली व आलोच्य आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र स्वयं की सुविधा हेतु ग्रामीण न्यायालय, बागपत में लम्बित पत्रावली को जनपद न्यायालय, बागपत में स्थानान्तरित करने की याचना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था नितेश रस्तोगी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या 9472/2025 निर्णीत दिनांकित 05.02.2026 के परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष दिया गया है कि न्यायिक पक्ष (Judicial Side) में किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर स्थनान्तरण आवेदन को निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को प्राप्त नहीं है। पक्षकार के आवेदन पर स्थानान्तरण का क्षेत्राधिकार केवल माननीय

उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायाधीश को ही प्राप्त है। विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र के निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने के आधार पर प्रश्नगत आदेश के माध्यम से निगरानीकर्ता का स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया है, जो कि विधि के अनुरूप व न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है।

15. इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आलोच्य आदेश पारित करते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है तथा अपने में निहित क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था (2012) 9 SCC 468 SC **अमित कपूर बनाम रमेशचन्द्र** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को परीक्षण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का तब अधिकार प्राप्त होता है जब परीक्षण न्यायालय द्वारा अपनी स्थानीय अधिकारिता से बाहर जाकर कोई निष्कर्ष या आदेश पारित किया गया हो, अथवा मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया हो। पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियाँ बहुत ही सीमित होती हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में ही पुनरीक्षण न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, अन्यथा नहीं। पुनरीक्षण न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कि वह परीक्षण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को निरस्त कर अपना विचारण उनके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दे। पुनरीक्षण न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि उपरोक्त आदेश में कोई अवैधानिकता या अनियमितता है, अथवा नहीं।

17. अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह न्यायालय इस मत की है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी तरह की क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि, अनियमित्ता एवं अवैधता दर्शित नहीं होती है। आलोच्य आदेश में पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तदुनसार निगरानी निरस्त होने योग्य है तथा आलोच्य आदेश पुष्ट होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी संख्या 107/2026 निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 24.03.2026 पुष्ट किया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाए।

दिनांकः 03.06.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 03.06.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।